

संपादकीय
कम हों धमाके

पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में उसने पटाखों की बिंदी पर पूरी तरह से बैन लगाने से मना कर दिया है, पर इस बारे में उसने कुछ शर्तें जरूर तय कर दी हैं। अदालत ने साफ किया है कि पटाखे केवल लाइसेंस धारी व्यापारी ही बेच सकते हैं, वह भी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले। इनकी ऑनलाइन बिंदी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने की समय सीमा भी तय कर दी है। दिवाली की शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

यदि रहे कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिंदी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सविधान का अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) सभी लोगों पर लगू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जाहिर है, कोर्ट ने जोखिम भरे पटाखा उद्योग में कार्रवत लाखों लोगों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखा है। पिछले साल दिवाली के मौके पर कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिंदी पर रोक लगाई थी लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। उलटे एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने इसे हिंदू आस्था में हस्तक्षेप बताते हुए घर-घर पटाखे बांटे। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बाद में कहा कि वायु प्रदूषण पिछली दिवाली के मुकाबले कुछ कम रहा लेकिन धमाकेदार पटाखों के अधिक इस्तेमाल से धनिया प्रदूषण बढ़ गया।

इस बार भी धनिया और वायु प्रदूषण घटने की खास उम्मीद नहीं लग रही। सबसे पहले तो यहीं तय करना कठिन है कि कौन से पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं। पटाखों की बिंदी पर नजर रखना भी बहुत मुश्किल है। और महज दो घंटे पटाखे फोड़ने का नियम भला कौन मानेगा, वह भी तब जब कुछ लोग खुलेआम इस अदेश को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बता रहे हैं और परोक्ष रूप से जवात को अधिक से अधिक पटाखे फोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय एसएचओ की जवाबदेही तय की गई है, जिसके लिए लोगों को पटाखे फोड़ने से रोकना लगभग असंभव है। सचाई यह है कि दिवाली पर प्रदूषण फैलने की बात अभी जनमानस के अंदें पर काफी नीचे है। लोग अभी इसी मानसिकता में जीते हैं कि एक दिन दस-बीस पटाखे जला ही लिए तो कौन सी आफत आ जाएगी। प्रदूषण के लिए वे सदियों से चली आ रही परंपरा कथों छोड़े। ऐसे विचार वीरों-धीरों ही जाते हैं। पटाखे के खिलाफ मुहिम जारी रहनी चाहिए। कभी तो लोग समझेंगे कि हमारी जो रस्में जिंदगी पर भारी पड़ने लगेंगी, उन्हें देर-सबेर हमें बदलना ही होगा।

अब डीजल करेगा आपकी जेब ढीली,
हो सकता है पेट्रोल से भी महंगा

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के साथ डीजल के मूल्य में वृद्धि लगातार जारी है, पर इस बारे में उसने कुछ शर्तें जरूर तय कर दी हैं। अदालत ने साफ किया है कि पटाखे केवल लाइसेंस धारी व्यापारी ही बेच सकते हैं, वह भी पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले। इनकी ऑनलाइन बिंदी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने की समय सीमा भी तय कर दी है। दिवाली की शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

यदि रहे कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिंदी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सविधान का अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) सभी लोगों पर लगू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जाहिर है, कोर्ट ने जोखिम भरे पटाखा उद्योग में कार्रवत लाखों लोगों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखा है। पिछले साल दिवाली के मौके पर कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिंदी पर रोक लगाई थी लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। उलटे एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने इसे हिंदू आस्था में हस्तक्षेप बताते हुए घर-घर पटाखे बांटे। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बाद में कहा कि वायु प्रदूषण पिछली दिवाली के मुकाबले कुछ कम रहा लेकिन धमाकेदार पटाखों के अधिक इस्तेमाल से धनिया प्रदूषण बढ़ गया।

इस बार भी धनिया और वायु प्रदूषण घटने की खास उम्मीद नहीं लग रही। सबसे पहले तो यहीं तय करना कठिन है कि कौन से पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं। पटाखों की बिंदी पर नजर रखना भी बहुत मुश्किल है। और महज दो घंटे पटाखे फोड़ने का नियम भला कौन मानेगा, वह भी तब जब कुछ लोग खुलेआम इस अदेश को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बता रहे हैं और परोक्ष रूप से जवात को अधिक से अधिक पटाखे फोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय एसएचओ की जवाबदेही तय की गई है, जिसके लिए लोगों को पटाखे फोड़ने से रोकना लगभग असंभव है। सचाई यह है कि दिवाली पर प्रदूषण फैलने की बात अभी जनमानस के अंदें पर काफी नीचे है। लोग अभी इसी मानसिकता में जीते हैं कि एक दिन दस-बीस पटाखे जला ही लिए तो कौन सी आफत आ जाएगी। प्रदूषण के लिए वे सदियों से चली आ रही परंपरा कथों छोड़े। ऐसे विचार वीरों-धीरों ही जाते हैं। पटाखे के खिलाफ मुहिम जारी रहनी चाहिए। कभी तो लोग समझेंगे कि हमारी जो रस्में जिंदगी पर भारी पड़ने लगेंगी, उन्हें देर-सबेर हमें बदलना ही होगा।

बंद हो जाएंगी सैकड़ों
पॉर्न वेबसाइट, कंदं
सरकार का बड़ा आदेश

नई दिल्ली। सरकार ने उत्तराखण्ड बंदी कोर्ट के अदेश के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट को बंद करने का निर्देश दिया है। आधारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। न्यायालय ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया का आदेश प्रकाशित कर दिया है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए कहा गया है। 30 वेबसाइट पर अश्लील सामग्री नहीं मिली।

जांच में 857 में से 30 वेबसाइट पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई। जांच में 857 में से 30 वेबसाइट पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई।

इस फील्ड में होंगी 4 साल में 1.2 करोड़ नौकरियाँ

नई दिल्ली। देश में इंटरनेट की बिंदी का विवरण करने के लिए इंटरनेट उपयोग करने के लिए इंटरनेट सेवा की कीमत 2022 तक 1.2 करोड़ नये रोजाना सुजित कर सकता है। फिलहाल इस क्षेत्र में करीब 10 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसेसिप्शन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 'भारत में इंटरनेट सेवाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव' शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार मोटे तौर पर करीब 33.8 अरब डॉलर मूल्य का क्षेत्र 2022 में 76.4 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान है।

वालों की संख्या 48.1 करोड़ से बढ़कर 2022 तक 76.2 करोड़ होने की उम्मीद है। इसका प्रमुख कारण इंटरनेट के अनुकूल नीतियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बेहतर ढांचागत सुविधा, विकसित वितरण नेटवर्क के समेत अन्य चीजों से क्षेत्र 124 अरब डॉलर का हो सकता है।

विवरण कोहली ने बनाए रखने के लिए इंटरनेट के अनुमान है। इंटरनेट सेवा की प्रौद्योगिकी और कारोबारी पक्ष के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी तौर पर इंटरनेट जरूरत के अनुसार चीजों में बदलाव लाने के साथ ग्राहकों की आकांक्षाओं और मांग का अनुमान है।

इसके अनुसार देश में स्मार्टफोन उपयोगकार्ताओं की संख्या भी 1.75 गुना बढ़कर 48.1 करोड़ पूरा करने में मददगार होगा। इसमें कहा गया है कि सरकार की अनुकूल नीतियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए उसने इन सारी अनुमानों को पेश कर रहा है। अब तक उसने ब्रिटेन में 15 स्टेटरों पर लाख रुपये का निवेश होने का अनुमान है।

फ्रैंचाइजी इंडिया ने बयान में कहा कि चायवाला अपनी विशेष कौफ और चाय के बारे में भारत में वायरल नास्ता एवं चाय ब्रैंड चायवाला के चार्चित भारतीय नास्ता एवं चायवाला के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत चायवाला की अगले पांच साल में भारत में 150 से 200 रेस्टरंग खोलने की योजना है। कंपनी ने कहा कि भारत में चायवाला ब्रैंड को स्थापित करने के लिए उसने इस सासाह ब्रिटेन की कंपनी (चायवाला) के साथ मास्टर फ्रैंचाइजी डील की है। चायवाला के एक रेस्टरंग पर 40 लाख रुपये का निवेश होने का अनुमान है।

फ्रैंचाइजी इंडिया ने बयान में कहा कि चायवाला अपनी विशेष कौफ और चाय के बारे में भारत में वायरल नास्ता एवं चायवाला के साथ हाथ मिलाया है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी तौर पर इंटरनेट जरूरत के अनुसार चीजों में बदलाव लाने के साथ ग्राहकों की आकांक्षाओं और मांग का अनुमान है।

फ्रैंचाइजी इंडिया ने बयान में कहा कि चायवाला अपनी विशेष कौफ और चाय के बारे में भारत में वायरल नास्ता एवं चायवाला के साथ हाथ मिलाया है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी तौर पर इंटरनेट जरूरत के अनुसार चीजों में बदलाव लाने के साथ ग्राहकों की आकांक्षाओं और मांग का अनुमान है।

फ्रैंचाइजी इंडिया ने बयान में कहा कि चायवाला अपनी विशेष